

आवेदन पत्र को सम्बन्ध में जांच की गई। जिसके अनुसार ग्राम खोखेय की पत्रावली संवत् 2075-78 के 526 में प्रार्थी का नाम उमकाश पिठ खोखल दर्ज है। प्रार्थी द्वारा उक्त आवेदन पत्रिका में प्रार्थी का नाम उमकाश पिठ खोखल के बजाय ओमकाश पिठ खोखल किया जाने रिपोर्ट की जाये सार उचित है।

कार्यालय तहसीलदार, उदयपुरवाटी/गुढागौडजी
दिनांक 08/11/21

क्रमांक : राजस्व/2020/

मूल ही उपखण्ड अधिकारी महोदय, उदयपुरवाटी को प्रेषित कर निवेदन है कि आवेदन पत्र में वर्तमाननुसार आवेदक का नाम दुरुस्त किया जाना उचित है/उचित नहीं है। आवेदक का नाम दुरुस्त किये जाने की अभियंता की जाती है / नहीं की जाती है।

दुरुस्त किया जाना उचित है।

तहसीलदार, उदयपुरवाटी/गुढागौडजी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू (छत्.)

-: आदेश :-

दिनांक :- 08/11/21

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों एवं तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौडजी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौडजी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	जमाबन्दी संवत्	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1	खमौवा	2075-78	526	प्रकाश पिठ खोखल	ओमप्रकाश पिठ खोखल

नोट :- शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की पालना की जावे।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

दिनांक :- 8/11/21

क्रमांक :- राजस्व/2020/ 796-97
प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौडजी को वास्ते पालनार्थ।
2. प्रार्थी/प्रार्थीया

को सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी